कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-17/2017-18/

दिनांक : /08/2017

सेवा में,

जिला वकास अ धकारी, देहरादून

जनपद- देहरादून

वषय : जिला वकास अ धकारी, देहरादून का वर्ष 10/2014 से 03/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 07 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 17/2017-18/ दिनांक: /08/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़ ।

2- मुख्य वकास अ धकारी देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड़ ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग–I

निरीक्षण आख्या जिला विकास अधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

जिला विकास अधिकारी, देहरादून की अवधि 10/2014 से 04/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय वडथ्वाल, स0ले0प0अ0, श्री केदार सिंह, स0ले0प0अ0, एवं श्री नितिन वर्मा, ले0प0 द्वारा दिनांक 03.05.2017 से 16.05.2017 तक श्री बी0एस0 चन्देल, व0ले0प0अ0 के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस0के0 जौहरी, स0ले0प0अ0 एवं श्री बी0एम0 त्रिपाठी, ले0प0, द्वारा दिनांक 15.10.2014 से 29.10.2014 तक श्री बी0एस0 चन्देल, ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 12/2011 से माह 09/2014 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–**

(अ) संप्रेक्षा अवधि में कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पदनाम–

(i) श्री प्रदीप कुमार, पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी

(ब) भौगोलिक क्षेत्र–

(स) जनसंख्या–

3. निर्वाचित सदस्यों की संख्या–

4. आयोजित बैठकों की संख्या–

5. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या–

6. कर्मचारियों की संख्या– 28

7. इकाई की सम्पत्तियां–

8. इकाई के अपने प्रोजेक्ट–

9. योजनाओं की संख्या– 07

10. (अ) सामाजिक संरक्षा–

(ब) रोजगार सृजन से सम्बंधित–

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनाएं–

(द) लाभार्थियों की संख्या–

11. वर्ष के दौरान कर, रेटस डयूटी चंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि–

12. वर्ष के दौरान कुल व्यय– भाग –I, 2(ii)(अ) के अनुसार

(अ) सामान्य–

(स) योजनाओं पर(प्रत्येक योजना पर अलग–अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

13. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया–

2(ii)(अ)– कार्यालय जिला विकास अधिकारी, देहरादून के विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति–

धनराशि (रू हजार) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (–)	आधिक्य (+)	बचत (–)
2014-15	–	133716900	16061691	16061691	719898090	442922500	–	–		410692490
2015-16	–	410692490	15556704	15556704	611677800	884204100	–	–		138166190*
2016-17	–	129885790	17997616	17997616	973384700	980577100	–	–		122693390#
2017-18 (अप्रैल 2017 तक)	–	121878390	–	–	13641000	22877000	–	–		112642390

*मनरेगा योजना की धनराशि रू0 8280400 शासन को वापस किये गये।

#मनरेगा योजना की धनराशि रू0 815000 शासन को वापस किये गये।

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है–

क्र.सं.	वर्ष			
1	प्रारम्भिक शेष			
2	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (क)केन्द्रांश (ख)राज्यांश (ग)अन्य प्राप्तियां			
3	व्यय			
4	अंतिम शेष(1+2–3)			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है–

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवषेश	प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	व्यय	अंतिम अवशेष
2014–15	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0	0	0	0	0
2014–15	मनरेगा	90.956	1284.3249	1375.2809	1356.159	19.1219
2015–16	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	6.314	6.314	6.314	0.00
2015–16	मनरेगा	19.1219	2635.31	2654.4319	2563.98	90.4519*
2016–17	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	12.955	12.955	12.955	0.00
2016–17	मनरेगा	7.6479	5029.93	5037.5779	5024.42	13.1579#
2017–18	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017–18 (अप्रैल2017 तक)	मनरेगा	5.0079	133.57	138.5779	133.57	5.0079

*मनरेगा योजना की धनराशि रू0 82.804 लाख शासन को वापस किये गये।

#मनरेगा योजना की धनराशि रू0 8.15 लाख शासन को वापस किये गये।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, देहरादून का वर्ष 2014–15 का आय–व्यय विवरण (धनराशि रू0 लाख में)						
क्र. सं.	मद का नाम	पूर्व अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम अवशेष
1	विधायक निधि	1232.933	5445.776	6678.709	2594.176	4084.533
2	एकल ग्राम पेयजल योजना	0.06	72.07	72.13	71.78	0.35
3	जिला योजना–सामुदायिक विकास	0.00	186.51	186.51	186.51	0.00
4	दीनदयाल आवास योजना	13.22	0.30	13.52	10.60	2.92
5	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मेरा गांव मेरी सड़क योजना	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
7	मनरेगा	90.956	1284.3249	1375.2809	1356.159	19.1219
8	विविध आाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**1337.169**	**7198.9809**	**8536.1499**	**4429.225**	**4106.9249**
कार्यालय जिला विकास अधिकारी, देहरादून का वर्ष 2015–16 का आय–व्यय विवरण						
क्र. सं.	**मद का नाम**	**पूर्व अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियां**	**कुल प्राप्तियां**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	विधायक निधि	4084.533	3090.409	7174.942	5886.902	1288.04
2	एकल ग्राम पेयजल योजना	0.35	85.235	85.585	85.335	0.25
3	जिला योजना–सामुदायिक विकास	0.00	203.46	203.46	203.46	0.00
4	दीनदयाल आवास योजना	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92
5	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	6.314	6.314	6.314	0.00
6	मेरा गांव मेरी सड़क योजना	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00
7	मनरेगा	19.1219	2635.31	2654.4319	2563.98	90.4519*
8	विविध आाय	0.00	8.55	8.55	8.55	0.00
	कुल योग	**4106.9249**	**6116.778**	**10223.7029**	**8842.041**	**1381.6619**
	* **अवशेष धनराशि रू 90.4519 लाख में से रू 82.804 लाख शासन को वापस किये गये।**					
कार्यालय जिला विकास अधिकारी, देहरादून का वर्ष 2016–17 का आय–व्यय विवरण						
क्र. सं.	**मद का नाम**	**पूर्व अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियां**	**कुल प्राप्तियां**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	विधायक निधि	1288.04	4337.632	5625.672	4420.566	1205.106
2	एकल ग्राम पेयजल योजना	0.25	85.51	85.76	85.51	0.25
3	जिला योजना–सामुदायिक विकास	0.00	135.62	135.62	135.62	0.00
4	दीनदयाल आवास योजना	2.92	4.95	7.87	1.45	6.42
5	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	12.955	12.955	12.955	0.00
6	मेरा गांव मेरी सड़क योजना	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00
7	मनरेगा	7.6479	5029.93	5037.5779	5024.42	13.1579#
8	विविध आाय	0.00	39.75	39.75	37.75	2.00
	कुल योग	**1298.8579**	**9733.847**	**11032.7049**	**9805.771**	**1226.9339**
	# **अवशेष धनराशि रू13.1579 लाख में से रू 8.15 लाख शासन को वापस किये गये।**					
कार्यालय जिला विकास अधिकारी, देहरादून का वर्ष 2017–18 का आय–व्यय विवरण(अप्रैल 2017 तक)						
क्र. सं.	**मद का नाम**	**पूर्व अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियां**	**कुल प्राप्तियां**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	विधायक निधि	1205.106	0.00	1205.106	92.36	1112.746
2	एकल ग्राम पेयजल योजना	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25
3	जिला योजना–सामुदायिक विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दीनदयाल आवास योजना	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42
5	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मेरा गांव मेरी सड़क योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मनरेगा	5.0079	133.57	138.5779	133.57	5.0079
8	विविध आाय	2.00	2.84	4.84	2.84	2.00
	कुल योग	**1218.7839**	**136.41**	**1355.1939**	**228.77**	**1126.4239**

लेखाओं पर टिप्पणी

1.वर्ष के अन्त में बड़ी धनरा श अवशेष बची हुई है। अर्थात योजनाओं का क्रयान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है।

2.लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारुप में नहीं कया जा रहै है।

भाग—II 'अ'

शून्य

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 1– राष्ट्रीय बायोगैस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 5.96 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहना।

राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम अपारम्परिक श्रोत विभाग, भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त–पोषित है। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी जो बायोगैस संयंत्र लगाने के इच्छुक हों योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाते है। पर्वतीय क्षेत्र में 1घनमीटर आकार पर रू0 4000/– एवं इससे अधिक पर रू0 10000/– अनुदान देय है। इस योजना का उद्देश्य भोजन बनाने हेतु स्वच्छ बायो–गैस ईधन उपलब्ध कराना एवं एल0पी0जी0 तथा अन्य परम्परागत ईधन की खपत को कम करना, एकीकृत ऊर्जा नीति द्वारा परिकल्पित भोजन निर्माण हेतु आवश्यक लाइफ लाइन ऊर्जा की पूर्ति सुनिश्चित करना, बायो–उर्वरक/जैविक खाद की उपल्बधता सुनिश्चित कर रसायनिक खाद के उपयोग को कम करना एवं ग्रामीण महिलाओं के कार्य बोझ को कम करना तथा वनों पर पडने वाले दबाव को कम करते हुए सामाजिक लाभ पर बल देना।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौडी के द्वारा जनपद देहरादून को राष्ट्रीय बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना हेतु धनराशि निम्नवत अवमुक्त की गयी थी–

क्र.सं.	पत्रांक सं0	आवंटित धनराशि	विकास खण्डवार अवमुक्त धनराशि	
1	2197/5–लेखा–158–II रा.बा.यो.2015–16, दिनांक 26.11.2015	467500	डोईवाला	80000
			रायपुर	150000
			सहसपूर	150000
			विकासनगर	87500
2	2936/5–लेखा–158–II रा.बा.यो. 2015–16, दिनांक 16.02. 2016	163900	डोईवाला	60000
			रायपूर	18900
			विकासनगर	50000
	कुल योग	**631400**		**596400**

इकाई के राष्ट्रीय बायोगैस योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विकास खण्डों को अवमुक्त धनराशि ` 5.96 लाख के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि (05/2017) तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वार इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि विकास खण्डों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो रहे है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उपयोगिता प्रामाण प्राप्त नही किये गये है जोकि विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः राष्ट्रीय बायोगैस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 5.96 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 2(अ)- विधायक निधि के अंतर्गत जिला देहरादून में वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक के 1944 कार्यों के अपूर्ण रहने से रू0 134.99 करोड़ की धनराशि का अलाभकारी व्यय ।

जिला विकास अधिकारी देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा गया की विधायक निधि के अंतर्गत वर्ष2003 – 04से2011 – 12तक के कार्यों की जांच में देखा गया कि 4 से लेकर 16 वर्ष तक की अवधि बीत जाने पर भी कुल 34 कार्य अपूर्ण थे जिनपर42 . 44लाख की योजना लागत के सापेक्ष रू0 31. 81 लाख की धनराशि व्यय कर दी गई थी किन्तु कार्य पूर्ण नहीं हुये थे । जिनका विवरण इस प्रकार है –

क्र.सं.	वर्ष	कुल अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	व्यय की गई धनराशि	प्रदान करने हेतु शेष धनराशि	योजना पूर्ण न होने का कारण
1	2003–04	1	2.00	1.50	0.50	उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होना ।
2	2004–05	2	6.50	4.87	1.63	
3	2005–06	–	–	–	–	
4	2006–07	4	2.50	1.87	0.63	75 प्रतिशत धनराशि ही निर्गत की गई है। 25 प्रतिशत प्रदान की जानी शेष है ।
5	2007–08	6	6.60	4.95	1.65	
6	2008–09	3	6.50	4.88	1.62	
7	2009–10	3	3.14	2.31	0.83	
8	2010–11	3	2.45	1.84	0.61	
9	2011–12	12	12.75	9.59	3.16	
	योग	34	42.44	31.81	10.63	

इसी प्रकार वर्ष 2012-13 से2016 – 17 तक गत 1 वर्ष से 05 वर्ष बीत जाने पर भी विधायक निधि के अन्तर्गत 1910 कार्य अपूर्ण थे जिन पर रू0 142.74 करोड की योजना लागत के सापेक्ष रू0134.67 करोड़ की धनराशि व्यय कर दी गई थी किन्तु कार्य पूर्ण नहीं हुये थे । अपूर्ण कार्यों एवं उनपर व्यय की जाने वाली शेष धनराशि का विवरण निमन्वत है ।

क्र.सं.	वर्ष	कार्यों की कुल संख्या	कुल अपूर्ण कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	व्यय की गई धनराशि	अपूर्ण योजनाओं हेतु प्रदान की जाने वाली शेष धनराशि
1	2012–13	1612	98	2741.66	2702.61	39.05
2	2013–14	1445	59	2749.33	2714.20	35.13
3	2014–15	1486	109	3022.86	2980.68	42.18
4	2015–16	1580	457	3016.98	2840.14	176.84
5	2016–17	1693	1187	2743.59	2230.29	513.30

	योग		1910	14274.42	13467.92	806.50

इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं में से खंड विकास अधिकारी रायपुर, खंड विकास अधिकारी विकासनगर तथा खंड विकास अधिकारी चकराता के कार्यालय की लेखापरीक्षा में देखा गया की इन कार्यों को पूर्ण करने हेतू मात्र 03 माह की अवधि कार्यदेशों में दी गई है । किन्तु वर्षों तक इन कार्यों का अपूर्ण रहना अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की कमी को प्रदर्शित करता है साथ ही इतने लंबे समय तक किसी कार्य विशेष पर पूर्व में किया गया कार्य समय के साथ साथ स्वतः नष्ट हो सकता है तथा उसपर किया गया व्यय व्यर्थ होने की आशंका रहती है । इस संबंध में यह भी आशंका बनी रहती है की वे कार्य वास्तव में आरंभ हुये भी थे या नहीं।

वर्ष2012 – 13से2016 – 17तक शासन से प्राप्त हुई धनराशि रू0 145. 75करोड़ के सापेक्ष134 .67 करोड़ रुपये ही व्यय किए जा सके थे तथा वर्ष2012 – 13से2016 – 17तक आरंभ हुये 7817 कार्यों के सापेक्ष मात्र 5906 कार्यों के ही उपभोग प्रमाण प्राप्त हुये थे ।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर उत्तर दिया गया की अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की जाती रही है तथा निकट भविष्य में की जाएगी, उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाएगा तथा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास कर शीघ्र ही प्रमाण सहित अवगत कराया जाएगा । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विधायक निधि के अंतर्गत अधिकांश कार्यों को पूर्ण करने हेतु केवल 3 माह की समयावधि तय की गई है । इतने अधिक संख्या में कार्यों का अपूर्ण रहना तथा वर्ष2003 – 04से कार्यों का अपूर्ण रहना तथा उपभोग प्रमाण प्राप्त न होना इस योजना के संचालन में मूलभूत कमियाँ होना तथा योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में कमियाँ होने की पुष्टि करता है ।

अतः विधायक निधि के अंतर्गत जिला देहरादून में वर्ष2003 – 04से2016 – 17तक के 1944 कार्यों के अपूर्ण रहने से रू0134 . 99करोड़ की धनराशि का अलाभकारी व्यय तथा उनका जन उपयोगिता हेतु उपलब्ध न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2(ब)– विधायक निधि के अंतर्गत प्राप्त हुई रू0 19.25 करोड़ की धनराशि का उपयोग न किया जाना ।

जिला विकास अधिकारी देहरादून के विधायक निधि से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया की गत पाँच वर्षों में कुल 11 विधायकों की विधायक निधि के सापेक्ष कुल रूपये145 . 75करोड़ धनराशि प्राप्त हुई । इस धनराशि में से132 . 51करोड़ रुपये इस निधि के अंतरगत गत पाँच वर्षों में व्यय किये गए तथा निधि में19 . 25करोड़ रूपये शेष बचे थे। जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है

विगत पाँच वर्षों में विधायक निधि के अंतर्गत उपयोग हेतु स्वीकृत धनराशि एवं उसका वास्तविक उपयोग का विवरण

(रू लाख में)

वर्ष	कुल विधायकों की संख्या	वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय हेतु जारी की गई धनराशि	व्यय की गई धनराशि	अव्ययित धनराशि
2012–13	11/ 250 लाख प्रति विधायक	2750.00	2704.90	2693.49	56.51
2013–14	11/ 250 लाख प्रति विधायक	2750.00	2700.19	2688.51	61.49
2014–15	11/ 275लाख प्रति विधायक	3025.00	2873.40	2863.14	161.86
2015–16	11/ 275लाख प्रति विधायक	3025.00	2656.92	2174.41	850.59
2016–17	11/ 275लाख प्रति विधायक	3025.00	2315.62	2230.00	795.00
	कुल योग	14575.00	13251.03	12649.55	1925.45 **Say** 19.25 करोड़

आगे उपरोक्त विवरणी से ज्ञात होता है की गत पाँच वर्षों में विधायक निधि के अंतर्गत कुल व्यय योग्य उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मात्र86 . 79प्रतिशत धनराशि का उपयोग ही किया जा सका है। तथा13 . 21 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है । इकाई द्वारा भेजी गई मासिक प्रगति विवरणी मार्च 2017तथा विधायक निधी की वित्तीय /भौतिक प्रगति विवरणी **मार्च** 2017 में दर्शाये गए आंकड़ों में अंतर था ।

देहरादून जिले में 11 विधायकों के क्षेत्राधिकार में इस निधि से किए जाने वाले कार्यों में कुल रू019. 25करोड़ के विभिन्न कार्यों को कराया जा सकता था जिससे कि13 . 21प्रतिशत धनराशि का प्रावधान उपलब्ध होने के उपरांत भी इसके उपयोग हेतु योजनाओं का अभाव/कमी होना विधायक निधि के उपयोगार्थ सुनियोजित व्यवस्था का अभाव दर्शाता है ।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया की मा0 विधायकों द्वारा समय से निर्माण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के कारण 13.21 प्रतिशत अवशेष धनराशि है । अवशेष धनराशि लेप्स न होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने उपभोग कर ली जाएगी ।

इकाई का उत्तर संतोषजनक न होने के कारण मान्य नहीं है, क्योंकि विधायक निधि के अंतर्गत किए जाने वाले अधिकांश कार्य मात्र 0 3माह की अवधि में पूर्ण करने होते हैं किन्तु वर्ष2003 – 04से कार्यों का अपूर्ण रहना तथा धनराशि उपलब्ध होते हुए भी कार्यों का समय से पूर्ण न होना तथा निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव उपलब्ध न होना इस निधि के अंतर्गत किए गए कार्यों के नियोजन तथा अनुश्रवण में कमी को प्रदर्शित करता है ।

अतः विधायक निधि के अंतर्गत प्राप्त हुई धनराशि रू0 19. 25करोड़ की धनराशि का उपयोग न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 3– 'मेरा गांव मेरी सड़क' योजना के अन्तर्गत आवंटित कार्यों के सम्बंध में गलत सूचना प्रस्तुत करना ।

उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा विषम भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं प्राथमिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सडकों से जोडने, आजीविका में सुधार, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा पलायन को रोकने हेतु मेरा गांव मेरी सडक योजना प्रारम्भ की गयी थी। 'मेरा गांव मेरी सडक' योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण राज्य सरकार तथा महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के साथ युगपितीकरण के माध्यम से किया जायेगा।

इकाई के 'मेरा गांव मेरी सडक' योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **वित्तीय वर्ष 2014–15** हेतु मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 721/मेरा गांव मेरी सडक /2014–15 दिनांक 18.03.2015 के द्वारा 06 विकास खण्डों को 12 सड़कों (प्रति विकास खण्ड 02 सड़क) के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 420.00 लाख में से राज्य मद की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 210.00 लाख (जिसमें रू0 35.00 लाख प्रति विकास खण्ड की दर से) अवमुक्त किये गये थे। इसी प्रकार **वित्तीय वर्ष 2015–16** में मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 808/मेरा गांव मेरी सडक /2015–16, दिनांक 04.03.2016 के द्वारा 06 विकास खण्डों को 10 सड़कों (04 विकास खण्डों को दो–दो सड़कें तथा 02 विकास खण्डों को एक–एक सड़क) के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 350.00 लाख में से राज्य मद की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 175.00 लाख (जिसमें रू0 35.00 लाख प्रति विकास खण्ड की दर से) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 87.50 लाख अवमुक्त किये गये थे तथा द्वितीय किश्त रू0 87.50 लाख, दिनांक 07.09.2016 को विकास खण्डों को अवमुक्त किये गये।

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा मेरा गांव मेरी सड़क योजना की प्रगति सूचना माह मार्च 2017(वर्ष 2014–15) में, विकास खण्ड रायपूर एवं विकास खण्ड चकराता को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत आवंटित कार्यों को पूर्ण दिखाया गया था जबकि उपरोक्त विकास खण्डों की लेखापरीक्षा के दौराना पाया गया कि कार्य अभी अपूर्ण है। आगे जांच में यह भी पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत आवंटित कार्य 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अपूर्ण है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2015–16 में 12 योजनाएं पूर्ण की गयी है जबकि विकास खण्ड रायपूर एवं चकराता की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अन्तर्गत आवंटित योजनाएं अभी अपूर्ण है।

अतः मेरा गांव मेरी सडक योजना के अन्तर्गत आवंटित कार्यों के सम्बंध में गलत सूचना प्रस्तुत करने एवं कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 4– मनरेगा योजना के अन्तर्गत रू0 2.50 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र गलत रिपोर्टिग एवं प्रशासनिक मद की धनराशि को दिशा निर्देश के अनुसार व्यय न किया जाना।

मनरेगा क दिशा निर्देश के पैरा 12.05.02 के अनुसार योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए मानव संसाधन बढ़ाने और क्षमता विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए कुल व्यय का छः प्रतिशत उपलब्ध करायी जाती है। प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत अनुमेय कार्यकलाप– प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा संचार, एमआईएस, गुणवत्ता प्रबंधन, व्यावसायिक/तकनीकी सेवाएं, सामाजिक लेखापरीक्षा आदि था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला विकास अधिकारी, देहरादून द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में देहरादून जिले के छः ब्लॉकों को रू0 26.71 लाख (सहसपुर–रू0 428181, डोईवाला– रू0 434806, रायपुर–रू0 434806, विकासनगर–रू0 422880, कालसी–रू0 497086 और चकराता–रू0 453712) का आवंटन किया गया था। आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सभीं ब्लॉकों द्वारा समस्त धनराशि को व्यय के रूप में दशाते हुए उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये गये थे जबकि उनको रू0 2.50 लाख (रू0 50000 प्रत्येक ब्लॉक चकराता को छोड़कर) वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त हुआ था। साथ हीं यह भीं पाया गया कि उपरोक्त व्यय डीजल/पेट्रोल, कार्यालय–व्यय, स्टेशनरी आदि पर किया गया था जबकि इन्हें उपरोक्त दिशा–निर्देशानुसार किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बताया गया कि धनराशि एफटीओ के माध्यम से मार्च में हीं भेज दी गयी थी जबकि उन्हे अप्रैल में प्राप्त हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त हुई थी जबकि व्यय/उपभोग प्रमाण पत्र वितीय वर्ष 2016–17 का दिया गया था।

अतः रू0 2.50 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र गलत रिपोर्टिग एवं प्रशासनिक मद की धनराशि को दिशा निर्देश के अनुसार व्यय न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 5– जिला योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 218.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहना।

इकाई के जिला योजना से सम्बंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जॉच में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो। हेतु निम्नानुसार धनराशि अवांटित की गयी थी–

वित्तीय वर्ष	पत्रांक सं0	आवंटित धनराशि (रू लाख में)
2014-15	1134/जि.यो.ग्रा.वि./2014–15 दिनांक 04.09.2014	46.00
	1384/जि.यो.ग्रा.वि./2014–15 दिनांक 31.10.2014	6.50
	1385/जि.यो.ग्रा.वि./2014–15 दिनांक 31.10.2014	45.37
	1975/जि.यो.ग्रा.वि./2014–15 दिनांक 28.02.2015	6.50
	1977/जि.यो.ग्रा.वि./2014–15 दिनांक 28.02.2015	45.35
	1976/जि.यो.ग्रा.वि./2014–15 दिनांक 28.02.2015	25.43
	2113/जि.यो.ग्रा.वि./2014–15 दिनांक 20.03.2015	42.85
	कुल योग	**218.00**

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रू0 218.00 लाख कार्यदायी संस्था 'ग्रामीण निर्माण विभाग(RES) एवं लघु सिचाई विभाग को निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त किये गये थे–

क0सं0	कार्य का नाम	धनराशि, (रू0 लाख में)
1	डी0डी0ओ0/पी0डी0 डी0आर0डी0ए0 के आवासीय भवन	16.00
2	वि0ख0 डोईवाला में आवासीय भवनों एवं पुरूष/महिला शौचालयों का निर्माण	55.43
3	विकास खण्ड कालसी कार्यालय में परिसर में आवासीय भवन टाईप द्वितीय 04 नं0	49.98
4	विकास खण्ड कालसी आवासीय भवन टाईप तृतीय 02 नं0	83.59
5	जिला विकास अधिकारी कार्यालय देहरादून का मरम्मत कार्य	13.00
	कुल योग	**218.00**

आगे जांच में पाया गया कि 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत को जाने के बाद भी प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रू0 218.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लेखापरीक्षा तिथि(05/2017) तक अप्राप्त थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को पत्र लिखे गये है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि 02 वर्ष से अधिका का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किये गये थे जोकि विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

अतः जिला योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 218.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 6– एकल पेयजल योजना के अन्तर्गत धनराशि ` 40.82 लाख के व्यय के बाद भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

इकाई के 'एकल पेयजल योजना' से सम्बंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जॉच में देखा गया कि जनपद के दो विकास खण्ड–कालसी एवं चकराता में वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक स्वीकृत एकल पेयजल मरम्मत कार्य के सापेक्ष कतिपय योजनाएं लम्बित थी, जिनका विवरण निम्नवत है–

क.सं.	विकास खण्ड	वर्ष जिसमें योजना स्वीकृत है	एकल पेयजल योजना का नाम	स्वीकृत धन0 (रू0 लाख में)	योजना पर प्रथत भुगतान
1	**कालसी**	2007–08	पिहानी	1.37	0.69
2		2007–08	लोरली(गंगतोक)	3.19	2.10
3		2007–08	टिपराड	3.81	1.91
4		2007–08	कुन्ना	3.19	1.60
5		2007–08	सिंचाड	1.80	0.90
6		2008–09	कैयाना खड	3.46	1.73
7		2009–10	क्वाडाश्रोत से आरा	1.92	0.96
8		2014–15	सकनी तोक	3.45	1.73
9		2014–15	समाल्टा	2.85	1.43
10		2014–15	हरिजन बस्ती टुंगरा	3.50	1.75
11		2014–15	निचला टुंगरा	3.33	1.67
12		2014–15	ठाणा	3.60	1.80
13		2014–15	कफाणी खेडा	3.64	1.82
14		2015–16	नोटीबोर खडड से खैरवा गांव तक	2.82	1.41
15	**चकराता**	2008–09	पठियान	3.72	1.87
16		2008–09	सैतोली	3.60	1.80
17		2008–09	समोग	3.60	1.80
18		2009–10	मुलावणा खड से कोल्हा	4.41	2.21
19		2009–10	मेरावना खडड से फेडियाना	4.02	2.01
20		2009–10	दूरलोटी खडड छानी	4.00	2.00
21		2012–13	केरावा डाण्डी	2.52	1.26
22		2014–15	झबराड	3.32	1.66
23		2014–15	नौली गैसूर खेडा	3.46	1.73
24		2014–15	पछाल्टी से मशावडा छानी	3.20	1.60
25		2015–16	मेघाड की हरिजन बस्ती तोक	2.75	1.38
				80.53	**40.82**

आगे जांच में पाया गया कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अपूर्ण योजनाओं के सम्बंध में इकाई द्वारा सम्बंधित विकास खण्डों को पत्र प्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु ख0वि0अ0 चकराता एवं कालसी को कडें निर्देश दिये गये है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि वर्ष 2007–08 से योजनाएं अपूर्ण चल रही है जोकि विभागीय उदासीनता को दर्शता है तथा समय बीतने के साथ –साथ योजना की लागत में वृद्धि से इन्कार नही किया जा सकता।

अतः एकल पेयजल योजना के अन्तर्गत धनराशि ` 40.82 लाख के व्यय के बाद भी कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 7:- पं डत दीनदायल उपाध्याय आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में वभागीय श थलता के कारण योजना का गरीबों हेतु अलाभकारी होना ।

पं डत दीनदायल उपाध्याय आवास योजना के अंतर्गत दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार उन लाभा थयों को आवास हेतु धनरा श उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास कोई पक्का आवास न हो तथा जिनको अभी तक इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना , क्रे डट कम सब सडी योजना, उच्चीकृत आवास योजना तथा अटल आवास योजना के अंतर्गत कसी भी आवास योजना में कोई शासकीय सहायता स्वीकृत न की गई हो साथ ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में न हो तथा कसी भी सदस्य को सरकारी पेनशन न मलती हो ।

यह योजना वर्ष में 2007-08आरंभ हुई थी । वर्तमान में इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु -/75000तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु -/70000की धनरा श प्रदान की जाती है । योजना के अंतर्गत मार्च के अंत में 6.42 लाख की धनरा श इकाई के पास उपलब्ध थी । इस रा श में 2017 वह रा श भी सम्मा लत थी जो की व भन्न खंड वकास अ धकारियों द्वारा इस योजना के लाभा थयों हेतु प्राप्त की गई थी कन्तु व भन्न कारणों से धनरा श को वापस कर दिया गया हैजिसका ववरण इस प्रकार है –

वकास खंड का नाम	वापस की गई धनरा श	वापसी की दिनांक	टिप्पणी
डोइवाला	322205/-	14-06-2016	80 लाभा थयों की अनुदान रा श एवं निर्धूम चूल्हों की धनरा श वापस की गई ।
रायपुर	128240/-	27-05-2016	वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के लाभा थयों हेतु दी गई योजना की धनरा श एवं ब्याज की धनरा श वापस की गई ।
वकास नगर	96295/-	01-06-2016	वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के लाभा थयों हेतु दी गई धनरा श वापस की गई ।
योग	रुपये **5,46,740/-**		

यह धनरा श व भन्न खंड वकास अ धकारियों को इस योजना के लाभा र्थयों हेतु प्रदान की गई थी जो की उपयोग न होने के कारण वापस की गई है । इससे स्पष्ट होता है की इस योजना के प्रति संबन्धित ग्राम वकास अ धकारियों द्वारा रु च न लए जाने के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों'' गरीबों के लए आवास उपलब्ध कराने '' को पूरा नहीं कर रही है ।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया की खंड वकास अ धकारियों को पत्र लखे जा रहे हैं की वे अ वलंब कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर अंतिम द् वतीय कस्त का भुगतान कराएं । अनुमानित माह 6/20017 तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क धनरा श लंबे समय तक अपने पास रखने के बाद तीन वकासखंडों द्वारा वापस की गई है जो क इस योजना के प्रति संबन्धित अ धकारियों/ कर्मचारियों के लापरवाही पूर्ण व्यवहार को प्रद र्शत करता है ।

अतः मामला संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग–III

(क) परिचयात्मकः– कार्यालय जिला विकास अधिकारी, देहरादून के माह 10/2014 से माह 04/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री विजय बडथ्वाल, स0ले0प0अ0, श्री केदार सिंह, स0ले0प0अ0 एवं श्री नितिन वर्मा, ले0प0, द्वारा दिनांक 03.05.2017 से 16.05.2017 तक श्री बी0एस0 चन्देल, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

क्र.सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 'अ' के प्रस्तर	भाग 2 'ब' के प्रस्तर
1	68/2007–08	01	–
2	149/2008–09	01	1, 2, 3
3	108/2014–15	–	1, 2

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या–

क्र.सं.	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष**	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
1	68/2007–08	–	–	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नही की गयी	–
2	149/2008–09	–	1, 2, 3		
3	108/2014–15	–	1, 2		

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य(यदि काई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाये)

----------सामान्य----------

भाग–V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला विकास अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये–

2. **सतत अनियमितताएं–** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया–**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री सुशील मोहन डोभाल	जिला विकास अधिकारी
(ii)	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	जिला विकास अधिकारी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

स्थानीय निकाय